रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2003/चैत्र 6, 1925
No. 82] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2003/CHAITRA 6, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2003

विषय : चीन जनवादी गणराज्य से मैगनिशियम के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा।

सं. 7/1/97-एडीडी.— मैसर्स सदर्न मैगनिशियम तथा कैमिकल्ज लि0 हैदराबाद ने सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के अनुसार विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष चीन से मैगनिशियम के पाटन का आरोप लगाते हुए पाटनरोधी जांच शुरू करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए याचिका दायर की है ।

घरेलू उद्योगः याचिकाकर्ता, मैसर्स सदर्न मैगनिशियम तथा कैमिकल्ज लि0, हैदराबाद संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक था और इसलिए वह याचिका दायर करने के आधार को पूरा करता है ।

शामिल उत्पादः जांच में शामिल उत्पाद चीन जन. गणराज्य के मूल या वहां से निर्यातित मैगनिशियम या जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमाशुल्क शीर्ष 8104.11 तथा 8104.19 के अंतर्गत वर्गीकृत है ।

क्षतिः याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि भारत में मैगनिशियम का आयात बढ़ गया था तथा इसका क्षमता उपयोग एवं बिक्री वर्ष 1994-95 से घट गई थीं । याचिकाकर्ता ने वर्ष 1997-98 में लगभग 50% क्षमता और जोड़ी जो कि अप्रयुक्त ही रही । हालांकि याचिकाकर्ता ने मैगनिशियम की बिक्री से लाभ कमाना जारी रखा फिर भी इसने आरोप लगाया था कि इसके समग्र लाभ में कमी आई थी । भारत में मैगनिशियम का आयात ऐसी कीमतों पर हो रहा था जिनका भारत में मैगनिशियम की घरेलू कीमतों पर

अत्यधिक ह्रासकारी तथा/अथवा न्यूनकारी प्रभाव पड़ा था । घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक सूचक जैसे कि उत्पादन, बिक्री बाजार हिस्सा, लाभ/हानि इत्यादि सामूहिक एवं संचयी रूप से प्रथम दृष्या यह सूचित करते है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई थी ।

पाटनरोधी जांच की शुरूआतः अतः प्राधिकारी ने दिनांक 31.7.1997 की अधिसूचना सं.7/1/97 एडीडी द्वारा उक्त देश के मूल के या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आरोपित पाटन की मौजूदगी मात्रा तथा प्रभाव की पाटनरोधी जांच शुरू की थी ।

प्रारंभिक जांच परिणामः उचित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 6 फरवरी 1998 की अधिसूचना द्वारा प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित किया । अंतिम निर्धारण के लंबित रहने तक सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 81 के अंतर्गत आने वाले चीन जन. गणराज्य के मूल अथवा वहां से निर्यातित मैगनिशियम के सभी आयातों पर 2750 रूपए/मी.टन की दर से अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी ।

अंतिम जांच परिणामः अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित करने से पहले उचित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था । उपलब्ध कराए गए हितबद्ध पक्षकारों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणामों में यह निष्कर्ष निकाला था किः

(क) चीन जन. गणराज्य के मूल अथवा वहां से निर्यातित मैगनिशियम का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया था ।

(ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई थी ।

(ग) घरेलू उद्योग को उक्त क्षति चीन जन. गणराज्य के मूल अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण हुई थी ।

प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबंधित प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि की तथा दिनांक 24.7.1998 की अधिसूचना सं.7/1/97 ए डी डी द्वारा चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अध्याय 81 के अंतर्गत आने वाले मैगनिशियम के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की । अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क 157005 रूपए तथा प्रति मी.टन आयात के पहुंच मूल्य के बीच के अंतर की राशि थी, जो अधिकतम 57852 रूपए थी ।

इस प्रर्योजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथा आकलित निर्धारणीय मूल्य था जिसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 तथा 3क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी सीमाशुल्क शामिल थे ।

घरेलू उद्योग का वर्तमान निवेदनः घरेलू उद्योग ने मैगनिशियम पर पाटनरोधी शुल्क को हटाने की मांग की है क्योंकि यह अलाभकारी सिद्ध हुआ है । पाटनरोधी शुल्क लगाने के पश्चात भी देश में चीन का मैगनिशियम 85 रूपए से 110 रूपए प्रति किग्रा के बीच की पहुंच कीमत पर आ रहा है । याचिकाकर्ता देश में मैगनिशियम धातु के एकमात्र विनिर्माता हैं । तथापि मैगनिशियम के आयात के कारण बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा की वजह से उन्होंने अपने संयंत्र में मैगनिशियम के विनिर्माण की प्रक्रिया स्थापित कर दी है क्योंकिअब वे इसे अब व्यवहार्य नहीं पाते हैं । जिन कीमतों पर देश में धातु का आयात हो रहा है वे

इसकी प्रत्यक्ष लागत पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं । संसाधित मैगनिशियम धातु के उत्पादों के अपने दीर्घकालिक ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए याचिकाकर्ताओं ने व्यापारियों से लगभग 110/-रूपए प्रति किग्रा की कीमत (पहुंच लागत जिसमें सीमाशुल्क तथा उनके लाभ शामिल हैं परन्तु सी वी डी शामिल नहीं है) पर मैगनिशियम खरीदना शुरू कर दिया है । अतः याचिकाकर्ता पाटनरोधी शुल्क हटाने का अनुरोध किया है क्योंकि व्यापारियों से ऊंची कीमतों पर चीन की धातु खरीदने के बजाए चीन से सीधे ही धातु का आयात कर सकेंगे ।

निष्कर्ष तथा सिफारिशः प्राधिकारी यह महसूस करते हैं कि निम्नलिखित कारणों से वर्तमान मामले में समीक्षा शुरू करने का कोई औचित्य नहीं है और इस प्रकार वर्तमान मामले में पाटनरोधी नियमावली का नियम 23(3) लागू नहीं होगाः

1. मैसर्स सदर्न मैगनिशियम तथा कैमिकल्ज लि0, हैदराबाद एकमात्र ऐसी यूनिट थी जो देश में मैगनिशियम का उत्पादन कर रही थी ।

2. मैसर्स सदर्न मैगनिशियम तथा कैमिकल्ज लि0, हैदराबाद ने अब उत्पादन बंद कर दिया है तथा इस उत्पाद की आयातक बन गई है ।

3. मैसर्स सदर्न मैगनिशियम तथा कैमिकल्ज लि0, हैदराबाद ने चीन से मैगनिशियम के आयात पर पाटनरोधी शुल्क वापस लेनेका अनुरोध किया है ।

4. पाटनरोधी शुल्क की लेवी की 5 वर्ष की अवधि हर हालत में मई 2003 में समाप्त हो जाएगी ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग के निवेदनों पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं-

1. चूंकि कोई घरेलू उद्योग नहीं है इसलिए संबद्ध देश से मैगनिशियम के आयात पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसे पुनः क्षति पहुंचाने की सभावना नही है ।

2. अतः प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि सीमशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 81 के अंतर्गत आने वाले चीन जन. गणराज्य के मूल अथवा वहां से निर्यातित मैगनिशियम के आयात पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जाए ।

इस आदेश के विरूद्ध कोई अपील उपरोक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) न्यायाधिकार में दायर की जा सकती है ।

एल.वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2003

Subject : Review of anti-dumping duty on import of Magnesium from China PR.

No. 7/1/97-ADD.— M/s. Southern Magnesium and Chemicals Ltd., Hyderabad filed a petition in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act. 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 before the Designated Authority alleging dumping of Magnesium from China and requested for anti-dumping investigation and levy of anti-dumping duties.

Domestic Industry : The petitioner M/s. Southern Magnesium and Chemicals Ltd., Hyderabad was the only producer of the subject good and therefore satisfied the standing to file the petition.

Product Involved: The product involved in the investigation was Magnesium originating in or exported from China PR classified under customs heading 8104.11 and 8104.19 of the Customs Tariff Act.

Injury: The petitioner had alleged that imports of magnesium in India had increased and its capacity utilization and sales had declined since 1994-95. The petitioner had added capacity of about 50% in the year 1997-98 which had remained unutilized. Though the petitioner continued to make profits from sales of magnesium, it had alleged that its overall profit had declined. The imports of magnesium were entering India at a price that had a significant depressing and/or suppressing effects on the domestic price of magnesium in India. The various economic indicators relating to domestic industry such as production, sales, market share, profit/loss etc. collectively and cumulatively, prima facie indicated that the domestic industry had suffered material injury.

Initiation of anti-dumping investigation: The Authority therefore initiated anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the said country vide Notification No. 7/1/97-ADD dated 31.7.1997.

Preliminary Findings: After following the due procedure, the Designated Authority notified preliminary findings vide notification dated 6th February 1998. Provisional anti-dumping duty @ Rs. 27509 / MT was recommended on all imports of Magnesium originating in or exported from China PR falling under Chapter 81 of the Customs Tariff Act pending final determination.

Final Findings: Due procedure was followed before notifying the Final Findings. After considering the views of the interested parties, as made available, the Designated Authority in its final findings concluded that:

(a) Magnesium originating in or exported from China PR had been exported to India below its normal value;

(b) the domestic industry had suffered material injury;

(c) the injury had been caused to the domestic industry by the dumping of the subject goods originating in or exported from China PR.

The Authority confirmed the preliminary findings with regard to imposition of anti-dumping duty and recommended imposition of definitive anti-dumping duties on all imports of Magnesium falling under chapter 81 originating in or exported from the People's Republic of China vide Notification No. 7/1/97-ADD dated 24.7.1998. The anti-dumping duty recommended was the difference between Rs. 157005 and the landed price of imports per MT, subject to a maximum of Rs. 57852.

Landed value of imports for the purpose was the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Section 3 and 3A of the Customs Tariff Act, 1975.

Present Submissions of the Domestic Industry:

The domestic industry has sought removal of the Anti-dumping duty on magnesium as it has proved counter productive. Even after imposition of anti-dumping duty, Chinese Magnesium is coming into the country at a landed cost between Rs. 85 to Rs. 110 per kg. The petitioners are the only manufacturers of Magnesium Metal in the Country. However, because of severe competition in the market due to import of Magnesium, they have suspended operations at their plant for manufacture of Magnesium metal as they find it no longer viable. At the prices at which the metal is coming into the country, it is not even adequate to cover their direct costs. The petitioners have started purchasing Magnesium from the traders at around Rs. 110 per kg. (landed cost including customs duty and their profit but exclusive of CVD) to meet the requirement of their long term customers for processed magnesium metal products.

The petitioners have therefore requested for removal of anti-dumping duty, as they will be able to import the metal directly from China instead of procuring Chinese metal from traders at a higher price.

Conclusion and Recommendation:

The Authority feels that there is no justification for initiating a Review in the case due to the following reasons and as such Rule 23(3) of the Anti-dumping Rules will not apply in the present case:-

1. M/s. Southern Magnesium and Chemicals Ltd, Hyderabad was the only unit producing magnesium in the country;

2. M/s. Southern Magnesium and Chemicals Ltd, Hyderabad has since stopped producing and has turned an importer of the product.

3. M/s. Southern Magnesium and Chemicals Ltd, Hyderabad has requested for withdrawal of anti-dumping duty on import of magnesium from China.

4. The five year period of levy of anti-dumping duty would in any case lapse in the month of May 2003.

In view of the above the Authority concludes as follows after considering the submissions of the domestic industry:

1. Since there is no domestic industry, the cessation of anti-dumping duty on import of magnesium from the subject country is not likely to lead to continuation or recurrence of injury to the domestic industry.

2. The Authority, therefore, recommends that the Anti-dumping Duty imposed on import of Magnesium originating in or exported from China PR falling under Chapter 81 of the Customs Tariff Act, 1975 be discontinued.

An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.